		अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कार्य बहिष्कार पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-9-22 को पेश हो
	7-9-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया एवं बहस एकपक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्य पर वादी का वाद अंशीक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

57/दावा/2022 | पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 06.06.2022 | श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. शिवप्रकाश चौधरी आ0 रामनिवास चौधरी जाति जाट निवासी जयहिन्द नगर पुलिस लाइन कोटा राज0।

—वादी

बनाम

1. उजागर सिंह आ. रामनिवास चौधरी जाति जाट निवासी जयहिन्द नगर पुलिस लाइन कोटा राज0।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— प्रतिवादीगण

अर्न्तगत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट136 एल आर एक्ट।

उपस्थित :—1.श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट(वादी)।

—: निर्णय :— दिनांक :— 07.09.2022

वादी द्वारा वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट136 एल आर एक्ट में पेश कर कथन किया कि खाता सं0 नया 6 पुराना 5 खसरा सं0 149 रकबा 0.02 हैक्ट0, ख0सं0 18 रकबा 0.02 हैक्ट0, ख0सं0 180 रकबा 0.11 हैक्ट0, ख0सं0 185 रकबा 0.05 हैक्ट0, ख0सं0 448 रकबा 2.14 हैक्ट0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.34 हैक्ट0 कृषि भूमि वाके ग्राम मालिकपुरा पटवार क्षेत्र धरावन तहसील इन्द्रगढ विस्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में वादी का हिस्सा 1/2 निहित है उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना पूछताछ किये गलती से शिवराज सिंह अकिंत कर दिया गया जबकि वादी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

का वास्तविक नाम शिवप्रकाश चौधरी है। वादी का दस्तावेजी नाम शिवप्रकाश चौधरी होने से एवं राजस्व रिकार्ड में शिवराज सिंह अकिंत होने से वादी को कृषि विकास हेतू के0सी0सी0 ऋण एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वचिंत होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।वादी द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ को वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने बाबत कई दफा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में संशोधित नही किया गया यही वाद कारण रहा है।वादी को अपना नाम राजस्व रिर्कोड में शुद्व किये जाने का अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय में विधिवत रूप से अपना नाम राजस्व रिर्कोड में सही करवाये और अन्त में निवेदन किया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के राजस्व रिर्कोड में दर्ज गलत नाम शिवराज सिंह के स्थान पर शिवप्रकाश चौधरी अकिंत किया जावे।

वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डनात्मक जवाब प्रस्तुत नही करने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया।वादी ने अपने वाद–पत्र के सर्मथन में नकल जमाबन्दी सवंत 2073 से 2076, स्वंय का साक्ष्य–पत्र एवं परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड,पेनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वर्ष 2003 की अकंतालिका की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का वास्तविक नाम शिवप्रकाश चौधरी के स्थान पर शिवराज सिंह राजस्व रिर्कोड में गलत दर्ज कर दिया गया जिसको सही किया जाकर वादी के राजस्व रिर्कोड में वादी का नाम शिवराज सिंह के स्थान पर शिवप्रकाश चौधरी नाम अकंन करने की घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष में पारित की जाये।

वादी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वर्ष 2003 की अकंतालिका से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में वादी का नाम शिवप्रकाश चौधरी आत्मज रामनिवास चौधरी अकिंत होने की पुष्टि होती है एवं

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

राजस्व रिर्कोड जमाबन्दी में वादी का नाम शिवराज सिंह आत्मज रामनिवास अकिंत होना पाया जाता है इससे जाहिर होता है कि राजस्व रिर्कोड में वादी का नाम दर्ज करते वक्त सहवन त्रुटि हुई है अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि जमाबन्दी सवंत 2073 से 2076, खसरा सं0 149 रकबा 0.02 हैक्ट0, ख0सं0 18 रकबा 0.02 हैक्ट0, ख0सं0 180 रकबा 0.11 हैक्ट0, ख0सं0 185 रकबा 0.05 हैक्ट0, ख0सं0 448 रकबा 2.14 हैक्ट0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.34 हैक्ट0 कृषि भूमि वाके ग्राम मालिकपुरा पटवार क्षेत्र धरावन तहसील इन्द्रगढ विस्थित कृषि भूमि के राजस्व रिर्कोड में दर्ज वादी का नाम शिवराज सिंह आ0 रामनिवास हिस्सा 1/2 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर शिवराज सिंह उर्फ शिवप्रकाश चौधरी जाति जाट निवासी जयहिन्द नगर पुलिस लाइन कोटा राज0 को हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिर्कोर्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।तद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया जाकर आज दिनांक **07.09.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

डिकी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी............................ मुकाम.........................लाखेरी..................व इजलास........................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1 शिवप्रकाश चौधरी आ0 रामनिवास चौधरी जाति जाट निवासी जयहिन्द नगर पुलिस लाइन कोटा राज0। **बनाम** 1 उजागर सिंह आ. रामनिवास चौधरी जाति जाट नि0 जयहिन्द नगर पुलिस लाइन कोटा राज0। 2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

दावा बाबत 88, 89, आर0टी0एक्ट 136 एल.आर.एक्ट।......................

मुकदमा नम्बर..................................57 / दावा / 2022...सन.. यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...हमरे.. ....व हाजिरी

1.श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट(वादी)..।मिनजानिब मुद्दइ.. ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि जमाबन्दी सवंत 2073 से 2076, खसरा सं0 149 रकबा 0.02 हैक्ट0, ख0सं0 18 रकबा 0.02 हैक्ट0, ख0सं0 180 रकबा 0.11 हैक्ट0, ख0सं0 185 रकबा 0.05 हैक्ट0, ख0सं0 448 रकबा 2.14 हैक्ट0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.34 हैक्ट0 कृषि भूमि वाके ग्राम मालिकपुरा पटवार क्षैत्र धरावन तहसील इन्द्रगढ विस्थित कृषि भूमि के राजस्व रिर्कोड में दर्ज वादी का नाम शिवराज सिंह आ0 रामनिवास हिस्सा 1/2 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर शिवराज सिंह उर्फ शिवप्रकाश चौधरी जाति जाट निवासी जयहिन्द नगर पुलिस लाइन कोटा राज0 को हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिर्कोर्ड को दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।..बाबत............. ....निज.....................................मुबलिग...फीसदी सालाना आज की ....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....का अदा करें। तारीख से तारीख अदायगी तक ....को जारी की सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..07.....माह.........09.......... सन...2022...................... गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
मुद्दई			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
1.स्टाम्प अर्जीदावा			2.स्टाम्प अर्जी		
2.स्टाम्प वकालतनामा			3.महनताना वकील		
3.स्टाम्प वजह सबूत			4.खर्चा गवाहॉन		
4.महनताना वकील			5.फीस कमिश्नर		
5.खर्चा गवाहॉन			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
6.फीस कमिश्नर			7.मुत्तफरिक		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी